

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठरसीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 07/03/18

क्रमांक रीडर/2018/556

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1 पदमाराम पुत्र उदाराम
जाति जाट निवासी चवा
तहसील व जिला बाड़मेर।

1 मेहाराम पुत्र दूदाराम 2 पूंजाराम पुत्र नगाराम 3
अजाराम पुत्र ताजाराम 4 खीयाराम पुत्र केशराराम
5 मांगाराम पुत्र पूराराम जाति जाट निवासी चवा
6 बाबूलाल पुत्र हीराराम जाति ब्राह्मण निवासी
चवा 7 आसूराम पुत्र सोनाराम 8 गुणेशाराम पुत्र
नवलाराम जाति मेघवाल निवासी चवा तहसील व
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 243/2017

दिनांक- 07/03/18

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा चवा पटवार क्षेत्र चवा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 862/303 रकबा 75.00 बीघा व खसरा संख्या 899/283 रकबा 31.06 बीघा कुल रकबा 106.06 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 07/03/18

क्रमांक :- रीडर/2018/557-60

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चवा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. पदमाराम पुत्र उदाराम जाति जाट निवासी चवा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी मेहाराम पुत्र दूदाराम वगैराह जाति जाट निवासी चवा तहसील व जिला बाड़मेर।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर